(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खंड- 4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 159 **नई दिल्ली**, 11.06.2010

<u>अधिसूचना</u>

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 49 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतत्द्वारा, बल्लार पदम, पुतुवीपीण, बोलगत्ती और गोश्री (जीआईडीए) स्थित पत्तन भूमि के पट्टेदारी किरायों के संशोधन के लिए कोच्चिं पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव को संलग्न आदेश के अनुसार निपटाता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/31/2009-सीओपीटी

कोच्चिं पत्तन न्यास ------- **आवेदक**

आ दे श

(मई 2010 के 4थे दिन पारित किया गया)

कोच्चिं पत्तन न्यास ने दिनांक 17 अगस्त 2009 के पत्र के अधीन, वल्लारपदम्, पुतुवीपीण, बोलगत्ती और गोश्री (जीआईडीए) क्षेत्रों में स्थित अपने भूखंडों के लिए पट्टेदारी किराए प्रस्तावित किए थे। प्रस्ताव को 9 सितंबर 2009 को प्रशुल्क मामले के रू प में पंजीकृत किया गया था और संबंधित उपयोगकर्त्ता संगठनों से परामर्श किया गया था। उपयोगकर्त्ता संगठनों से प्राप्त टिप्पणियां सीओपीटी को प्रतिपूरक सूचना के रू प में भेजी गई थी और उपयोगकर्त्ता संगठनों की टिप्पणियों पर पत्तन ने अपनी अभ्युक्तियाँ दी हैं।

2 प्रस्ताव की प्रारंभिक जांच-पड़ताल के आधार पर सीओपीटी से कुछ अतिरिक्त सूचनाएं / स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था जिसका पत्तन ने अनुपालन किया है।

3. पत्तन ने नियंत्रणाधीन अधिकतर भूखंडों के लिए पट्टेदारी किरायों के संशोधन हेतु सीओपीटी से प्राप्त दिनांक 4 जून 2007 के एक और प्रस्ताव के साथ 23 फरवरी 2010 को कोच्चिं पत्तन न्यास में एक संयुक्त सुनवाई आयोजित की गई थी, जहां पत्तन और संबंधित उपयोगकर्त्ताओं ने अपने-अपने पक्ष रखे।

4. एक मान्य / अनुमोदित भूमि मूल्य निरू पक द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य और उसे सीओपीटी द्वारा स्वीकार किए जाने के आधार पर सीओपीटी ने दिनांक 16 फरवरी 2010 के अपने पत्र द्वारा अपनी जिसमें बल्लारपदम्, पुतुवीपीण, बोलगत्ती और गोश्री क्षेत्र स्थित भूसंपदा (क्षेत्र) सम्मिलित हैं, पट्टेदारी किराए के निर्धारण / संशोधन के लिए संशोधित प्रस्ताव दाखिल किया है।

5. इस प्राधिकरण ने वल्लार पदम्, पुतुवीपीण, बोलगत्ती और गोश्री क्षेत्रों समेंत सीओपीटी की समस्त भू-संपदा के लिए एक अलग आदेश सं. टीएएमपी / 33 / 2007-सीओपीटी दिनांक 4 मई 2010 जारी किया है। कथित आदेश को पारित करते समय पत्तन तथा उपयोगकर्त्ता संगठनों द्वारा इस प्रक्रिया में रखे गए प्रासंगिक पक्षों पर विधिवत विचार किया गया है।

फलस्वरू प, इस प्रकरण को निपटाए गए रू प में, बंद किया जाता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष